न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, फतेहपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 6494 / 2025

राज्य बनाम रोहित निषाद

मु0अ0सं0–306 / 2025

धारा– 112,317(4), BNS

थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त रोहित निषाद की ओर से मु०अ०सं० 306 / 2025 धारा– 112,317(4),BNS , थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त के पास से कोई भी नाजायज वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है फर्जी बरामदगी दर्शाकर झूंठा चालान किया गया है। फर्द बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपराध की प्रकृति अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय बताई तथा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर मोटरसाइकिल चुराने व चुराई हुई मोटरसाइकिल व 28 अदद ए.पी.एम. कार्ड एवं 100/–रूपये आपके कब्जे से पुलिस द्वारा बरामद करने का गंभीर अभियोग है, जो अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है ऐसे में अभियोग की प्रकृति, मामले के तथ्य व परिस्थितियों, अभियोग की गम्भीरता के दृष्टिगत इस स्तर पर बिना गुण दोष पर मत व्यक्त किए न्यायालय अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाती है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रोहित निषाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 6494 / 2025 धारा–112,317(4),BNS निरस्त किया जाता है।

दिनांक–16.12.2025

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–1, फतेहपुर।